न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख आदेश
315/2016 वाद पत्र	04.03.2016	20.06.2016

सत्यनारायण पिता रामनाथ जाट निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां

– वादी

बनाम

1. रामधन पिता रामकिशन जाट निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां
2. रामनाथ पिता रामकिशन जाट निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां
3. तहसीलदार, फूलियाकला

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार, बंटवाड़ा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री अनिल शर्मा – अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र वाद पत्र घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार, बंटवाड़ा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्व प्रतिवादीण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :– ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का ड़ोहरिया मे वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 के संयुक्त मालिकाना व स्वामित्व की आराजीयात खाता संख्या 221 कुल किता 8 रकबा 2.20 है0 साबिक खाता नम्बर 1 कुल किता 6 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा है। साबिक रेकार्ड मे भूमि वादी के दादा रामकिशन के नाम दर्ज थी। रामकिशन के दो पुत्र रामधन व रामनाथ है दोनो जीवित है व रामनाथ के केवल एक जायन्दा संतान सत्यनारायण वादी है। वादी की पुस्तेनी भूमि होने से जन्म से ही उसका अधिकार निहित है। वादी उसके ननिहाल अरनिया रांसा मे रहता है। उम्मेदपुरा मे रहकर अपने पिता की सेवा चाकरी भी करता है। वादी व रामनाथ का संयुक्त रूप से 1/2 हक व हिस्सा तथा रामधन का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। मौके पर वादी का 1/4 हिस्से पर कब्जा है उसके पिता का 1/4 हिस्से पर वादी के पिता प्रतिवादी 2 रामनाथ का का कब्जा है व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नं0 1 रामधन व उसके वारिसान का कब्जा है। आये दिन कब्जे को लेकर विवाद होता है इसलिए बंटवाड़े का वाद पेश किया जा रहा है। वादी के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण मौके पर विवाद उत्पन्न करते है व आराजी को महज राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज होने से विक्रय करने की धमकियॉ देते है इसलिए खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जा रहा है। अतः वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के विरूद्व बंटवाड़ा आराजियात की डिक्री इस अमर की जारी फरमायी जावे कि पैरा नं0. 1 मे वर्णित

आराजीयात जो कि पुस्तेनी होकर वादी का प्रतिवादी नं0 2 जो कि उसके पिता है के 1/2 हिस्से मे 1/4 हिस्सा निहित है एवं उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी को प्रतिवादी नं0 2 के साथ 1/4 हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किये जाने की डिक्री प्रदान करावे। वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व खातेदारी घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी फरमायी जावे कि वादी के पक्ष मे 1/4 हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करने के बाद खातेदारी मे दर्ज करावे एवं वादग्रस्त भूमि वादी के 1/4 हिस्से के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे। भूमि किसी को हस्तान्तरित नही करे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.06.2016 को प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील के लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार – 2016 केम्प ड़ोहरिया मे उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार फूलियाकलां स्वयं उपस्थित हुए जिनके द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 662 दिनांक 02.07.2015 हकत्याग से रामनाथ पिता रामकिशन जाट के बजाय रामधन पिता रामकिशन जाट दर्ज किया जा चुका है। वादी द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य वादपत्र के संबंध मे प्रस्तुत नही किये है। ग्राम उम्मेदपुरा जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 221 कुल किता 8 रकबा 2.20 है0 रामधन, रामनाथ पिता रामकिशन जाट सा0 देह खातेदार रहन बी0ओ0बी0 शाखा शाहपुरा हिस्सा रामधन का ना0क0 संख्या 407 से दर्ज है। वर्तमान पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.06.2016 अनुसार वादी के पिता द्वारा उसके भाई रामधन के पक्ष मे उसके हक हिस्से का हकत्याग कर दिये जाने से उसके नाम कोई भी भूमि दर्ज रेकार्ड नही है। वाद पत्र पूर्व मे उपखण्ड न्यायालय शाहपुरा मे दिनांक 04.09.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया था जबकि उसके पूर्व ही दिनांक 02.07.2015 को वादी के पिता रामनाथ द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का हकत्याग उसके भाई के नाम कर दिया गया है। ऐसी स्थिति मे जब भूमि ही वादी के पिता के नाम शेष नही रहती है तो वाद प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी सिद्व नही होने से खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार, बंटवाड़ा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण के सिद्व नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.06.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास **श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0**

श्री सम्यनारायण पिता रामनाथ जाट
निवासी उम्मेदपुरा तह0 फूलियाकलां
—— वादी

बनाम 1. रामधन पिता रामकिशन जाट
निवासी उम्मेदपुरा तह0 फूलियाकलां
2. रामनाथ पिता रामकिशन जाट
निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां
3. तहसीलदार, फूलियाकलां
—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा **88–53–188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955**
मुकदमा नम्बर **315 सन् 2016 राजस्व वाद**

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदासलत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व. .....X..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्त दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार, बंटवाड़ा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण के सिद्व नही होने से खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करें।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 20 माह 06 सन् 2016 से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा